

न्यायालय में:- श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, राजस्व



सिम-3329-II/16

दुलीचन्द गुप्ता उम्र वर्ष पिता स्व० श्रीरवा प्रसादगुप्ता निवासी वार्ड नं०-4
सोहागपुर तहसील-सोहागपुर जिला-बुधौल १०१००१ --- आवेदक

सनाम

श्री योगेश्वर प्रसाद गुप्ता का
सनाम दि. 26.9.16 को प्रस्तुत

रामविशाल गुप्ता पिता स्व० रामनाथ गुप्ता फर्त विधिक वारिस

माधुरी गुप्ता पत्नी रामनिवास गुप्ता

2. वृजेन्द्र गुप्ता

3. नारेन्द्र गुप्ता

4. अणु गुप्ता

5. लाला गुप्ता

6. दिनेश गुप्ता पिता राधिका गुप्ता

7. लक्ष्मी पुत्री रामविशाल गुप्ता

8. नर्वदा पितामाधव गुप्ता

9. बह्वीबाई पत्नी रामविशाल गुप्ता

10. सन्तोष गुप्ता पुत्री रामविशालगुप्ता

11. कविता गुप्ता पुत्री रामविशाल गुप्ता

12. जगद्वन गुप्तापिता माधव गुप्ता

स्वामी निवासी वार्ड नं०-4 सोहागपुर थाना व तहसील-सोहागपुर जिला-बुधौल

१०१००१

--- आवेदक गण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मद्रास अधिनियम 1959

1959

मान्यवर,

आवेदक पुनरीक्षण आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निम्नलिखित क्रिय करत है:-

11/2/11

(Signature)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3329-दो/16

जिला -शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदिके हस्ताक्षर
3 .11.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ० पी० शर्मा उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री इमरान खान उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 4/पुर्नवलोकन 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26.8.2016 के विरुद्ध निगरानी इस न्यायालय में म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त शहडोल द्वारा पुर्नवलोकन में आदेश दिनांक 26.8.2016 में सुनवाई हेतु उत्तरवादी अधिवक्ता को मौखिक सूचना देकर उभयपक्षों को सुना गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय को यह कैसे मालूम हुआ कि उत्तरवादी अधिवक्ता वही अधिवक्ता हैं जिसकी न्यायालय द्वारा मौखिक सूचित करके उभयपक्षों की सुनवाई की गई। उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा गया है कि बटवारा प्रकरण में जो नोटिस तामील का आधार बनाया गया एवं संतोष गुप्ता को उक्त प्रकरण में अनावेदक की पुत्री मान लिया गया एवं नोटिस ले जाने वाले भृत्य/तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस के पृष्ठ भाग पर पुत्री संतोष गुप्ता को तामीली दर्शाया गया है कि संतोष गुप्ता की पुत्री</p>	

(Handwritten mark)

है जबकि वह संतोष गुप्ता की पुत्री न होकर दिनेश गुप्त की पुत्री है। आवेदक अधिवक्ता का आगे तर्क है कि शरदा प्रसाद की मृत्यु होने पर रामनिवास के द्वारा 90 दिवस के भीतर वारिसों को पक्षकार नहीं बनया गया इस कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था। अंत में निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त शहडोल का आदेश दिनांक 26.8.16 निरस्त किया जावे।

4- अनावेदक का मुख्य तर्क यह था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शरदा प्रसाद की मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय में उसके वारिसों को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकार समायोजित किये जाने पर उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई इसलिये आवेदक अधिवक्ता को यह तथ्य निगरानी में नहीं उठाये जा सकते। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5- मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में उपलब्ध दस्तावेज तथा संलग्न प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी में उल्लेख किया गया है। अभिलेख के देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना की गई है यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी, अतः अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण उनका आदेश विधि प्रावधानों से उचित है।

//3// प्रकरण क्रमांक निगरानी 3328-दो/16

अनावेदक क्रमांक-1 तहसीलदार सोहगपुर के बटवारा प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ और जब प्रकरण में आदेश पारित किया जाकर अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया तब उसके द्वारा धारा-5 के आवेदन का सहारा लेकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे समय सीमा में न मानते हुये निरस्त की। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।


सदस्य

